न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– पूनम मीणा (RAS)

मुकदमा नम्बर :–47 / 2021 **GCMS NO. 2021/140**

सुमेर सिंह पुत्र श्री बलदेवा उम्र 68 वर्ष जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) (9530020012)

..................वादी

– ब ना म –

1. जयसिंह पुत्र श्री बलदेवा जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलदेवा जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. यादराम पुत्र श्री बलदेवा जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. कमल पुत्र जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. राकेश पुत्र जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
6. राजवीर पुत्र जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. शेरसिंह पुत्र जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
8. सरती देवी पत्नि जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
9. तारावती पुत्री जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
10. रितिका पुत्री जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
11. मनकोरी देवी पत्नि रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
12. बलवान पुत्र रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
13. शुभकरण पुत्र रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
14. राजबाला पुत्री रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

15. संतोष पुत्री रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
16. सुनीता पुत्री रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
17. सुमन पुत्री रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
18. बनवारी पुत्र जयनारायणजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
19. रोहताश पुत्र जयनारयण जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
20. शुभकरण पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
21. धनपति पत्नि बजरंग नवीरा रामकुमारजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
22. धर्मसिंह पुत्र बजरंगजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
23. सन्दीप पुत्र बजरंगजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
24. सुनीता पुत्री बजरंग पत्नि रणसिह जाति जाट निवासी श्यामपुरा हाल आबाद लाम्बा की ढाणी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)
25. प्रियंका पुत्री बजरंग पत्नि सुमेरसिंह जाति जाट निवासी श्यामपुरा हाल आबाद ढाकामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
26. अनिता पुत्री बजरंग जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुन्नू (राज.)
27. मंजू पुत्री बजरंग जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज0)
28. विकाश अधिकारी पंचायत समिति सिंघाना जिला झुन्झुनू (राज.)
29. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

....................प्रतिवादीगण

दावा –खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:40 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1. श्री राजेश यादव अभिभाषक वादी
2. श्री अशोक यादव (सानी) अभिभाषक प्रति. सं. 3, 19

–: निर्णय :– दिनांक :–22.12.2025

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से दिनांक **16.03.2021** को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमी हाल ख.न. 115 रकबा 1.82 है. ख.न. 116 रकबा 1.90 है., ख.न. 163 रकबा 0.06 है., ख.न. 164 रकबा 0.10 है. ख.न. 165 रकबा 0.04 है. ख.न. 174 रकबा 2.23 है., ख. न. 175 रकबा 2.19 है.ख.न. 176 रकबा 2.02 है., ख.न. 198 रकबा 1.75 है. ख.न. 29 रकबा 0.04 है. ख.न. 30 रकबा 0.41 है. ख.न. 56 रकबा 0.54 है. कुल किता 12 कुल रकबा 13.46 है. के खातेदार वादी एवं प्रतिवादीगण है जो अपने–अपने हिस्से पर शान्तिपूर्वक काबिज कास्त है।
2. यह कि वाद पत्र में खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि में वादी का 1/12 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 लगायत 10 का 1/9 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/63 – 1/63 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 11 लगात 17 का 1/9 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/63 1/63 हिस्सा है। तथा प्रतिवादी स 18 का 1/9 हिस्सा है, प्रतिवादी सं. 19 का 1/9 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 20 का 1/9 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 21 लगायत 27 के हकपूर्वाधिकारी रामकुवार 1/9 हिस्सा है रामकुवार की मृत्यु हो चुकी है।
3. यह कि वाद वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की है प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक ईंच पर कानूनी कब्जा एवं हिस्सा है यह अविभाजित कृषि भूमि है जिस पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज है प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 वादी के सगे भाई है लेकिन वे संख्या बल में अधिक है एवं सभी ने वादी के खिलाफ एक संगठन बना रखा है एवं जो यादी को उसके हिस्से से जबरन वंचित करना चाहते है एवं इस संयुक्त खातेदारी की भूमि के अधिक मूल्यवान एवं उपयोगी भाग को अपने एकाकी कब्जा में लेना चाहते है जिसका उन्हें कोई हक एवं अधिकार नहीं है।
4. यह कि भूमि ख.न. 56 रकबा 0.54 है. गांव श्यामपुरा की आबादी भूमि के पास है इसकी कीमत अन्य भूमि से ज्यादा है एवं यह अत्यधिक उपयोगी है इस कारण प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 अकेले इस सम्पूर्ण रकबा 0.54 है. पर कब्जा करना चाहते है एवं इसमें प्रतिवादी संख्या 28 से साजिस कर अकेले ही एक पानी का कुण्ड बनाकर उसे अकेले उपयोग में लेना चाहते है जबकि यह संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है एवं इसका उपयोग करने का वादी को भी प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की तरह ही करने का अधिकार है एवं यदि इसमें पेड़ लगाये जाते है एवं सरकारी सहायता एवं स्कीम व नियमों से पानी का होद (कुण्ड) बनाया जाता है तो उसका वादी को भी प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के समान ही उपयोग एवं उपयोग का हक एवं अधिकार है अकेले प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को उसका उपयोग उपभोग करने का अधिकारी नही है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:40 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को वाद वर्णित भूमि ख.न. 56 रकबा 0.54 हे. में बिना विभाजन के संयुक्त खातेदारी की भूमि को अपने अकेले कब्जा में लेकर उसमें निर्माण करने एवं उसमें अकेले उपयोग के लिये पानी का कुण्ड बनाने व उसे अकेले काम में लेने का अधिकार नहीं है।

6. यह कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 से कहा कि यह भूमि संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा कास्त की है किसी भी एक खातेदार को सम्पूर्ण अपने कब्जा में लेने या किसी खातेदार को वंचित करने का कुछ खातेदारों को मिलकर हक व अधिकार नहीं है तो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 वादी के साथ विवाद करने लगे एवं जबरन निर्माण करने की धमकी दी व झगड़ा करने पर आमदा हुये इस पर वादी ने प्रतिवादी सं. 28 को वादी की भूमि में कुण्ड का निर्माण नहीं करने हेतू कहा तो उसने भी प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का पक्ष लिया एवं कहा कि उसकी प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 से बात हो गई है इसलिये शीघ्र ही राशि स्वीकृति कर जारी करेगा जबकि ना तो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को बिना विभाजन के अपने निजी स्वार्थ के लिए कुण्ड का निर्माण करने का अधिकार है ना ही प्रतिवादी सं. 28 को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 से सांठ गांठ कर वादी को वंचित करने की नियत से इस भूमि में कुण्ड निर्माण की राशि स्वीकृत कर जारी करने का अधिकार है।

7. यह कि वाद वर्णित भूमि वादी की खातेदारी की है वादी का इसमें 1/12 हिस्सा है एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 ने नाजायज संगठन बनाकर अधिक मूल्यवान भाग पर जबरन कब्जा कर लिया अथवा निर्माण कर लिया या प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 इस भूमि के विशिष्ट भाग पर कब्जा कर लेते है अथवा इस संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रतिवादी सं. 28 से साज कर वादी को वंचित कर कुण्ड का निर्माण कर लेते है तो वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नहीं किया जा सकेगा।

8. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि में वादी का 1/12 हिस्सा होने व वादी का अन्य खातेदारो के साथ खाता संयुक्त रहने एवं प्रतिवादी सं. 1 लगातय 3 द्वारा जबरन निर्माण करने की धमकी देने एवं प्रतिवादी सं. 28 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का साथ देने से पैदा हुआ है इसलिये दावा अन्दर मियाद है वैसे भी इस प्रकार के दावे के लिये कानून में कोई मियाद निर्धारित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:17:40 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि प्रतिवादी सं. 28 को धारा 176 एल.आर. एक्ट के तहत दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रतिवादी सं. 28 ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 से साज कर वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के लिये कुण्ड के निर्माण की स्वीकृति जारी करने की धमकी दी है एवं वादी को वंचित करने की धमकी दी है यदि दो माह का नोटिस दिया जाकर

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा किया जाता है तो वादी का दावा करने का उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए यह वाद न्यायालय श्रीमानजी की अनुमति लेकर बिना नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा है।

10. यह कि बाद वर्णित भूमि वाके ग्राम श्यामपुरा में स्थित होने एवं न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

11. यह कि प्रतिवादी सं. 4 लगायत 27 संयुक्त खातेदार है तथा प्रतिवादी सं. 29 लैण्ड होल्डर है जो आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है।

12. यह कि दावा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/–रू. खाता विभाजन के लिए 1/रू. कोर्ट फीस निर्धारित है अर्थात् दावा कुल 2/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

13. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति मे हैं एवं वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

14. अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(अ) वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमी हाल ख.न. 115 रकबा 1.82 है., ख.न. 116 रकबा 1.90 है., ख.न. 163 रकबा 0. 06 है., ख.न. 164 रकबा 0.10 है., ख.न. 165 रकबा 0.04 है. ख.न. 174 रकबा 2.23 है., ख.न. 175 रकबा 2.19 है., ख.न. 176 रकबा 2.02 है., ख. न. 198 रकबा 1.75 है.ख.न. 29 रकबा 0.04 है. ख.न. 30 रकबा 0.41 है., ख.न. 56 रकबा 0.54 है. कुल किता 12 कुल रकबा 13.46 है. में वादी के 1/12 हिस्सा का खाता अच्छी में से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि विभाजन में देते हुये अर्थात इस भूमि के मूल्याकंन एवं उपयोगिता के अनुसार विभाजन करते हुये वादी का खाता अन्य प्रतिवादीगण से सीमाकंन एवं मापन कर विभाजित कर लगान अलग से कायम कर रास्ता का प्रावधान रखते हुये वादी का खाता विभाजित कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने कि कृपा करें।

(ब) प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमी हाल ख.न. 115 रकबा 1. 82 है., ख.न. 116 रकबा 1.90 है., ख.न. 163 रकबा 0.06 है., ख.न. 164 रकबा 0.10 है., ख.न. 165 रकबा 0.04 है. ख.न. 174 रकबा 2.23 है., ख.न. 175 रकबा 2. 19 है., ख.न. 176 रकबा 2.02 है., ख.न. 198 रकबा 1.75 है., ख.न. 29 रकबा 0.04 है. ख.न. 30 रकबा 0.41 है. ख.न. 56 रकबा 0.54 है. कुल किता 12 कुल रकबा 13.46 है. में कोई कच्चा या पक्का निर्माण ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये। तथा खन. 56 रकबा 0.54 है. में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:40 IST
Reason: SelfAttested

अकेलो के हित के लिये किसी कुण्ड का निर्माण नहीं करे ना ही उस भूमि में किसी तरह का कच्चा या पक्का निर्माण करे। तथा वादी के 1/12 हिस्से के कब्जा कास्त व उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही करे। तथा प्रतिवादी सं. 28 को भी पाबन्द किया जावे कि वह अकेले प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के हित के लिये कुण्ड के निर्माण हेतू स्वीकृति व राशि जारी नहीं करे। ना ही स्वयं करे ना ही अपने मातहत कर्मचारीयो से करवायें।

(स) वादी का दावा विरूद प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादी जिसके वाजिब हकदार हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने कि कृपा करें।

15. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामील जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 18, 20 से 29 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 व 19 की ओर से इस आशय का इकबाली जवाब दावा पेश हुआ है कि वाद पत्र का खण्ड नम्बर 1 से 13 जिस भांति दर्ज है। स्वीकार है। अतः इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का दावा मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने की कृपा करें।

16. वादी की ओर से पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में राजस्व ग्राम **श्यामपुरा** पटवार हल्का **श्यामपुरा मैनाना** की नकल जमाबन्दी संवत 2075–2078 हाल खाता संख्या 79, नकल जमाबन्दी संवत 2071–2074 हाल खाता संख्या 67पेश हुई। वादी की ओर से इसके अतिरिक्त अन्य और कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 3 व 19 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

17. अधिवक्ता उभय पक्षकारानके निवेदन पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारानसुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम श्यामपुरा स्थित वादीएवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि हाल खाता संख्या 79का रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार एवं मौके पर कब्जा काश्त तथा रास्ता कायम करते हुये वादीके 1/12हिस्से की भूमि काअलगखाता विभाजन किया जावे।

18. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 व 19 ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम श्यामपुरा स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि हाल खाता संख्या 79 का रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार एवं मौके पर कब्जा काश्त तथा रास्ता कायम करते हुये वादी के हिस्से की भूमि का खाता अलग किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

19. पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी राजस्व ग्राम **श्यामपुरा** संवत 20__–2078 के हाल खाता संख्या 79 की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादी वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

भूमि में अपने 1/12 हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त तथा रास्ता कायम करवाते हुये अपना खाता विभाजन अलग करवाना चाहता है।

20. अतःउपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 ग्राम **श्यामपुरा** पटवार हल्का श्यामपुरा मैनाना तहसील बुहाना के हाल खाता संख्या 79 में वादी के दर्ज 1/12 हिस्सेनुसार वाद वादी स्वीकार कर **अंतिम डिक्री** किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

—: आदेश :—

21. अतः वाद वादी बाबत खाता विभाजन की हद तक स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम **श्यामपुरा** पटवार हल्का श्यामपुरा मैनाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075—2078 के हाल खाता संख्या **79** के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 115, 116, 163, 164, 165, 174, 175, 176, 198, 29, 30, 56 कुल किता 12 कुल रकबा 13.46 हेक्टेयर में दर्ज वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—11'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—11'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ—1 लगायत अ—11'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

22. निर्णय आज दिनांक **22.12.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.))

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:40 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6—7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– पूनम मीणा (RAS)

सुमेर सिंह पुत्र श्री बलदेवा उम्र 68 वर्ष जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) (9530020012)

...................वादी

– ब ना म –

1. जयसिंह पुत्र श्री बलदेवा जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलदेवा जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. यादराम पुत्र श्री बलदेवा जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. कमल पुत्र जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. राकेश पुत्र जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
6. राजवीर पुत्र जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. शेरसिंह पुत्र जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
8. सरती देवी पत्नि जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
9. तारावती पुत्री जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
10. रितिका पुत्री जलेसिंहजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
11. मनकोरी देवी पत्नि रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
12. बलवान पुत्र रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
13. शुभकरण पुत्र रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

14. राजबाला पुत्री रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

15. संतोष पुत्री रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

16. सुनीता पुत्री रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

17. सुमन पुत्री रघुवीरजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

18. बनवारी पुत्र जयनारायणजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

19. रोहताश पुत्र जयनारयण जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

20. शुभकरण पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

21. धनपति पत्नि बजरंग नवीरा रामकुमारजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

22. धर्मसिंह पुत्र बजरंगजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

23. सन्दीप पुत्र बजरंगजाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

24. सुनीता पुत्री बजरंग पत्नि रणसिह जाति जाट निवासी श्यामपुरा हाल आबाद लाम्बा की ढाणी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

25. प्रियंका पुत्री बजरंग पत्नि सुमेरसिंह जाति जाट निवासी श्यामपुरा हाल आबाद ढाकामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

26. अनिता पुत्री बजरंग जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुन्नू (राज.)

27. मंजू पुत्री बजरंग जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज0)

28. विकाश अधिकारी पंचायत समिति सिंघाना जिला झुन्झुनू (राज.)

29. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:40 IST
Reason: SelfAttested

..................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट 1955

GCMS NO. 2021/140

मुकदमा नम्बर :–47 / 2021
निर्णय दिनांक :–22.12.2025

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 3 व 19 की ओर से **श्री अशोक यादव** (सागा) एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **22.12.2025** को **पूनम मीणा** (आर.ए.एस.) **उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वाद वादी बाबत खाता विभाजन की हद तक स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम **श्यामपुरा** पटवार हल्का श्यामपुरा मैनाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या **79** के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 115, 116, 163, 164, 165, 174, 175, 176, 198, 29, 30, 56 कुल किता 12 कुल रकबा 13.46 हेक्टेयर में दर्ज वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–11" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–11" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता **कायम किया जाकर** आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–11" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **22.12.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.12 14:47:40 IST
Reason: SelfAttested